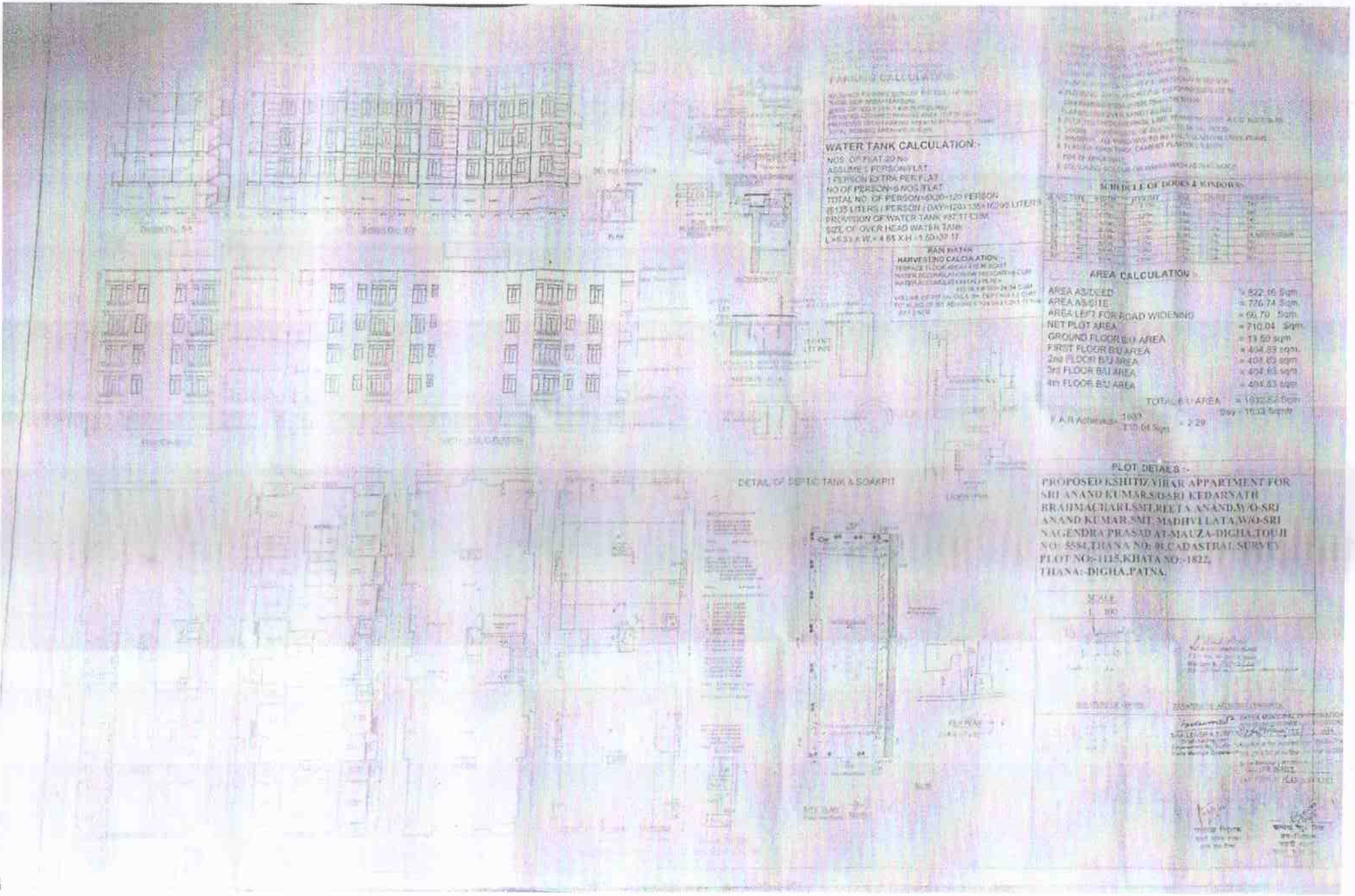

WATER TANK CALCULATION :-
NOS. OF FLAT-20 No
ASSUME 5 PERSON/FLAT
1 PERSON EXTRA PER FLAT
NO OF PERSON=6 NOS FLAT
TOTAL NO. OF PERSON=6X20=120 PERSON
@135 LITERS / PERSON / DAY=120x135=16200 LITERS
PROVISION OF WATER TANK =37.17 CUM
SIZE OF OVER HEAD WATER TANK
L=5.5 x W.= 4.65 X H =1.50=37.17
RAIN WATER
HARVESTING CALCULATION :-
SCHEDULE OF DOORS & WINDOWS :-
AREA CALCULATION :-
AREA AS/CED = 822.16 Sqm
AREA AS/SITE = 726.74 Sqm
AREA LEFT FOR ROAD WIDENING = 66.70 Sqm
NET PLOT AREA = 710.04 Sqm
GROUND FLOOR B/U AREA = 13.50 sqm
FIRST FLOOR B/U AREA = 404.83 sqm.
2nd FLOOR B/U AREA = 404.83 sqm
3rd FLOOR B/U AREA = 404.83 sqm
4th FLOOR B/U AREA = 404.83 sqm
TOTAL B/U AREA = 1633.82 Sqm
Say - 1633 Sqm
F.A.R Achieved = 1633 / 710.04 Sqm = 2.29
DETAIL OF SEPTIC TANK & SOAKPIT
PLOT DETAILS :-
PROPOSED KSHITIZ VIHAR APPARTMENT FOR SRI ANAND KUMAR S/O SRI KEDARNATH BRAHMACHARI, SMT. REETA ANAND W/O SRI ANAND KUMAR, SMT. MADHVI LATA W/O SRI NAGENDRA PRASAD AT-MAUZA-DIGHA, TOUJI NO:-5584, THANA NO: 91, CADASTRAL SURVEY PLOT NO:-1115, KHATA NO:-1822, THANA:-DIGHA, PATNA.
SCALE
1 : 100

पटना नगर निगम

ब्लॉक-सी, द्वितीय तल, मौर्यलोक कम्पलेक्स, डाक बंगला रोड, पटना-800001

पत्र संख्या- 3331 /प0न0नि0

प्रेषक,

उप निदेशक,
शहरी योजना शाखा,
पटना नगर निगम, पटना।

सेवा में,

श्री आनन्द कुमार, श्रीमती रीता आनन्द एवं श्रीमती माधवी लता,
MIG-156, हनुमान नगर, थाना-पत्रकार नगर,
पटना।

पटना, दिनांक- 01./04./2017 ई0।

विषय:- **प्लान केस सं०-P/Digha/PRN/G+4/156/2016 की स्वीकृति के संबंध में।**

महाशय,

आपके आवेदन सं0-P/Digha/PRN/G+4/156/2016 दिनांक-30.05.2016 के संदर्भ में श्री आनन्द कुमार, श्रीमती रीता आनन्द एवं श्रीमती माधवी लता, MIG-156, हनुमान नगर, थाना-पत्रकार नगर, पटना के लिए भवन निमार्ण के लिए पटना नगर निगम/बिहार शहरी आयोजना तथा विकास अधिनियम, 2012 के अधीन अधिसूचित विकास योजना/आयोजना प्राधिकार/आयोजना स्कीम के सर्वे प्लॉट सं0-1115, खाता सं0-1822, थाना सं0-01, थाना-दीघा, तौजी संख्या-5584, मौजा-दीघा, पटना के बाबत निम्नलिखित शर्तों/निर्वधनों के अध्याधीन एतद् द्वारा अनुमति प्रदान की जाती है।

(क) भूमि/भवन का उपयोग अनन्य रूप से आवासीय प्रयोजन के लिए किया जाएगा और इस प्राधिकार के पूर्व अनुमोदन के बिना उपयोगों को किसी अन्य उपयोग के लिए परिवर्तित नहीं किया जाएगा।

(ख) विकास पूर्ण रूप से आवश्यक अनुमति के पृष्ठांकन के साथ संलग्न योजनाओं के अनुसार किया जाएगा।

(ग) अनुमोदित योजना में दर्शाया गया 408.30 वर्ग मीटर का पार्किंग स्थान खुला रखा जाएगा और इसके किसी भाग पर निर्माण नहीं किया जाएगा।

(घ) प्रस्तावित निर्माण वाली भूमि 11.10 मीटर से 11.30 मीटर (औसत चौड़ाई 30 फीट से ज्यादा) चौड़ाई के अनुमोदित पहुँच मार्ग के माध्यम से सुगम्य होगी।

(ड़) प्रश्नगत भूमि आवेदक के विधिपूर्ण स्वामित्व एवं शांतिपूर्ण कब्जा में अवश्य हो।

(च) सड़क को मानक चौड़ाई तक और चौड़ी करने के लिए आवेदक, विभिन्न विकास योजना/आयोजना प्राधिकारों/या बिहार शहरी आयोजना तथा विकास अधिनियम, 2012 के अधीन अधिसूचित किसी योजना स्कीम के अधीन आच्छादित सुसंगत आयोजना प्राधिकार/ग्राम पंचायत क्षेत्रों के अधीनस्थ पटना नगर निगमों को 66.70 वर्ग मीटर चौड़ी भूमि की पट्टी मुफ्त उपहार के रूप में देगा।

(छ) अनुमति (अनुज्ञा) जारी किये जाने की तारीख से तीन वर्षों की अवधि के लिए विधिमान्य होगी।

(ज) इस उपबन्ध के अधीन दी गयी अनुमति को उस भूखण्ड, जिसके लिए योजना अनुमोदित की गयी हो, के अधिकार, हक, हित की बाबत साक्ष्य नहीं मानी जाएगी।

(झ) योजना के अनुमोदन के पश्चात् भू-अभिलेख के कारण या अधिकार/हक/हित/ की बाबत कोई विवाद होने पर विवाद की अवधि के दौरान योजना का अनुमोदन स्वत: रद्द समझी जाएगी।

(ञ) नक्शा की स्वीकृति के क्रम में आवश्यक दस्तावेजों में अमीन का सत्यापन प्रतिवेदन अनिवार्य दस्तावेज होता है। इसलिए आवेदक ने अपने दस्तावेजों में निजी अमीन द्वारा तैयार प्रतिवेदन संलग्न किया है। इसलिए भविष्य में निगम को अमीन की नियमित सेवा उपलब्ध होने पर सत्यता की जाँच कराने पर किसी प्रकार की त्रुटि/अनियमितता पाये जाने की स्थिति में आवेदक पूर्णत: उत्तरदायी होंगे तथा स्वीकृत नक्शा स्वत: रद्द समझा जायेगा

(ट) भू-स्वामित्व एवं नक्शा से संबंधित समस्त दस्तावेजों/कागजात के सत्यता की जिम्मेवारी आवेदक की है। भविष्य में इसमें किसी प्रकार की त्रुटि/हेर-फेर/कपटपूर्ण रचना पाये जाने पर नक्शा अस्वीकृत किये जाने के साथ आवेदक के विरूद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जायेगी।

विश्वासभाजन,

उप निदेशक,
शहरी योजना शाखा,
पटना नगर निगम, पटना।

''बेहतर हो पहचान अपना, विकसित राजधानी सुन्दर पटना''